आदेश दिनांक–31.01.2024

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 03.11.2023 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट 1 लगायत 3 जो स्वर्गीय गोपाल के वारिस है उसका फोती नामान्तकरण अपीलांटस के नाम विरासत का न खुलने पर अपीलांटस दिनांक 18.08.2023 को पटवारी हल्का के पास गये तो उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनाक 28.08.2017 की सर्वप्रथम जानकार होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकल का आवेदन पेश कराया, जिस पर अधिवक्ता से प्रकरण की नकल मिलने की सूचना दिनांक 18.10.2023 को प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यों की सर्वप्रामि जानकारी हुयी इसके पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। डिले उक्त कारण से हुई है जो काबिल माफी है, न्यायहित में दिनांक 28.08.2017 से अपील पेश करने तक की अवधि कन्डोन किया जाना न्याय संगत है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र हस्ब दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त डिले कन्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने की आज्ञा प्रदान करें ।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपील के निस्तारण तक अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव एवं क्रियान्विति को स्थगित नहीं किये जाने पर अपीलांट जो मृतक गोपाल के वारिस है के नाम नामान्तकरण खातेदारी न खुलने से अपने हिस्से की आराजी विकसित नहीं कर सकते एवं राजकीय योजनाओं से वंचित रहना पड़ता है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को अपील के निस्तारण तक स्थगित किये जाने में ही सुविधा का सन्तुलन निहित है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील के निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू की टी.आई. नम्बर 64/2017 बउनवी नेहा काला बनाम ए0सी.ई. इण्डिया एब्रोडस वगैरह पारित आदेश दिनांक 28.08.2017 की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलांट 1 से 3 स्वर्गीय गोपाल के वारिस है उनका फौती नामांतरकरण अपीलांटस के नाम विरासत का नहीं खुलने पर अपीलांटस दिनांक 18.8.2023 को पटवारी हल्का के पास गए तब उन्हें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.8.2017 की जानकारी हुई। इस पर अधिवक्ता से संपर्क कर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करवाया दिनांक 18.10.2023 को नकल प्राप्त होने पर संपूर्ण तथ्यों की सर्वप्रथम जानकारी हुई इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं हुई उक्त संभावित देरी को माफ किया जाए और अपील को अंदर मियाद शुमार किए जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 द्वारा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक दूदू नेहा काला वगैराह बनाम एसीई इंडिया एबरोडस वगैराह प्रकरण संख्या 64/2017 का अवलोकन किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से दिया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 का अवलोकन किया गया उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 29.3.2022 का है जिसमें अपीलांट 1,2,3 के पिता तथा अपीलांट 4 के पति गोपाल का स्वर्गवास होना बताया है इससे स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता का भी स्वर्गवास हो जाने से अपीलांटगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं रही होगी। गोपाल के फौती नामांतरकरण के बाबत अपीलांट द्वारा पटवारी से संपर्क किया गया है। तब उन्हें अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 की सर्वप्रथम जानकारी हुई। उसके बाद जानकारी दिनांक 18.8.2023 के बाद अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 26.10.2023 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3/11/2024

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार वे मृतक गोपाल के वारिसान हैं। अंतरिम स्थगन आदेश की वजह से उनके पक्ष में विरासत का नामांतरकरण नहीं खुल पा रहा है जिसकी वजह से अपने हिस्से की आराजी विकसीत नहीं कर सकते व राजकीय योजनाओं के लाभ से उन्हें वंचित रहना पडता है इस वजह से उन्हें अपूर्णीय क्षति हो रही है। सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण भी अपने पक्ष में बताया अंत में निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना प्रभाव व कियान्विति को स्थगित किए जाने का निवेदन किया।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि 2017 में एकपक्षीय रूप से अंतरिम स्थगन आदेश रेस्पोडेंट 1 व 2 के द्वारा प्राप्त किया गया था। अपीलांट का पति/पिता गोपाल न्यायालय में उपस्थित हुआ था बंटवारे का वादपत्र है। राजस्व रिकार्ड में यथास्थिति से हमें परेशानी है दिनांक 14.3.2022 को हमारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। हम प्रतिवादी 5 के वारिस हैं। बाकी सारे स्टरेंन्जर परचेजर्स है सभी का जवाब प्रस्तुत हो चुका है कोई भी आपस में भाई बंधु नहीं है।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.8.2017 का अवलोकन किया गया जो निम्नानुसार है– **अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1633, 1637, 1639, 1640, 1642, 1671, 1672, 1660, 1664, 1665, 1714, 1718 वाकै ग्राम झरना तहसील मौजमाबाद को रहन, बय, मुंतकिल नहीं करे। निर्माण नहीं करे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखे।**

अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों में सहखातेदारी होने के बावजूद नियमों के विरूद्ध जाकर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया। जबकि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में इस बाबत सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं कि सहखातेदार को टीआई के माध्यम से पाबंद नहीं किया जा सकता– **श्रीराम बनाम बोदूराम एवं अन्य 2004(1) आरआरटी 365, प्रकाशकंवर एवं अन्य बनाम कैलाशचंद्र एवं अन्य 2001(2)आरआरटी 1261, छावली एवं अन्य बनाम बालकी देवी एवं अन्य 2016(1) आरआरटी 113।** इन सभी न्यायिक दृष्टांतों में यह माना गया है कि एक सहकाश्तकार दूसरे सहकाश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता प्रत्येक सहखातेदार प्रत्येक इंच पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की वजह से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थन पत्र में अंकित अप्रार्थी संख्या 5 गोपाल पुत्र रणजीत जाति मीणा झरना की मृत्यु के बाद उसकी विरासत वर्तमान अपीलांटगण के पक्ष में नहीं खुल पा रही है। इस वजह से उन्हें अपूर्णीय क्षति हो रही है। ना ही वह अपने हिस्से की भूमि से कोई लाभ या सरकारी योजनाओं से कोई लाभ ले पा रहे हैं। जो कि अनुचित है, अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में अपीलाटगण को काश्त करने से नहीं रोका जा सकता।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि सारे पक्षों द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को शीघ्र निर्णय करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की है, जो उचित नहीं है। अतः इस स्टेज पर न्यायालय यह उचित समझता है कि अपीलाधीन आदेश से विवादित भूमियों के संदर्भ में प्रदत्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.8.2017 को अंतरिम रूप से स्थगित किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह सभी पक्षों की बहस सुनकर अगले चार सप्ताह में गुणावगुण पर 212 के प्रार्थना पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर